

राजस्व वाद संख्या 15/2018

- 1- श्रीमति बरदी पत्नि श्री मंगला जाति मेहरात निवासी ग्राम राघपुरा ग्राम पंचायत धौलादांता तहसील मसूदा जिला-अजमेर राज0
- 2- श्रीमति आपू पत्नि श्री कालू जाति मेहरात निवासी ग्राम राघपुरा ग्राम पंचायत धौलादांता तहसील मसूदा जिला-अजमेर राज0

—वादीगण

ब न म

- 1- श्रीमति शांति पत्नि श्री सवाई मेहरात
- 2- श्रीमति रूकमा पत्नि श्री समदा जाति मेहरात निवासी ग्राम राघपुरा ग्राम पंचायत धौलादांता तहसील मसूदा जिला-अजमेर राज0
- 3- तेजा पुत्र श्री भवाना मेहरात
- 4- नूरा पुत्र श्री भवाना मेहरात
- 5- पांचू पुत्र श्री भवाना मेहरात
- 6- रहमान पुत्र श्री हजारी मेहरात
निवासीयान ग्राम कालीदांती राघपुरा तहसील मसूदा जिला-अजमेर
- 7- सुलेमान पुत्र रहीमा मेहरात
- 8- लक्ष्मण पुत्र रहीमा मेहरात
- 9- बाला पुत्र श्री मोती मेहरात
- 10- सुल्तान पुत्र श्री मेन्दू मेहरात
- 11- मुकेश पुत्र श्री मेन्दू मेहरात
- 12- श्रीमति हगामी पत्नि श्री मेन्दू मेहरात
- 13- सुगरी पत्नि श्री नैना मेहरात
- 14- हीरा पुत्र श्री नैना मेहरात
- 15- रमेश पुत्र श्री नैना मेहरात
- 16- अलानूर पुत्र श्री नैना मेहरात
- 17- बाया पुत्री नैना मेहरात
- 18- प्रेम पुत्री श्री नैना मेहरात
- 19- शारदा पुत्री नैना मेहरात
- 20- लीला पुत्र नैना मेहरात
- 21- रमजानी पुत्री नैना मेहरात
- 22- संतोष पुत्री नैना मेहरात
- 23- सुशीला पुत्री जफरू मेहरात
- 24- मौहम्मद अमीन पुत्र श्री जफरू मेहरात
निवासीयान ग्राम राघपुरा ग्राम पंचायत धौलादांता तहसील मसूदा जि0अजमेर
- 25- राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील मसूदा

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी

निर्णय

दिनांक 2.5.2018

सारांशतः वादीगण ने अपने वाद पत्र में निवेदन किया है, कि ग्राम राघपुरा पटवार क्षेत्र धौलादांता तहसील मसूदा के खाता संख्या 269 के खसरा नंबर 20 रकबा 02-12-00, 27 रकबा 00-00-10, 591 रकबा 01-10-00, 592 रकबा 08-15-10, 606 रकबा 00-10-00, 615 रकबा 00-02-00, 616 रकबा 01-06-00, 617 रकबा 00-07-00, 619 रकबा 00-16-10, 622 रकबा 00-01-10, 713 रकबा 00-04-00, 715 रकबा 01-12-00, 716 रकबा 01-05-00, 717 रकबा 00-09-00, 718 रकबा 00-09-00, 719 रकबा 00-09-00, 720 रकबा 01-05-00, 721 रकबा 01-07-00, 725 रकबा 00-05-10, 726 रकबा 00-09-10, 727 रकबा 00-07-00, 728 रकबा

BT
(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज0

00-07-00, 729 रकबा 01-05-00, 740 रकबा 01-03-00, 741 रकबा 01-03-00, 797 रकबा 00-14-00, 798 रकबा 01-00-00, 799 रकबा 01-12-10, 800 रकबा 00-08-00, 801 रकबा 00-07-00, 803 रकबा 00-02-00, 804 रकबा 01-12-00, 806 रकबा 02-00-00, 807 रकबा 00-14-10, 808 रकबा 00-10-00, 810 रकबा 00-07-00, 811 रकबा 00-14-10, 1180 रकबा 11-11-00, 1181 रकबा 01-00-00, 1182 रकबा 01-00-00, 1183 रकबा 01-06-00, 1206 रकबा 00-12-00, 1207 रकबा 00-12-00, 1208 रकबा 00-12-00, 1209 रकबा 01-17-00, 1216 रकबा 02-04-00, 1217 रकबा 01-07-10, 1218 रकबा 02-16-10, 1220 रकबा 02-02-10, 1240 रकबा 00-09-00, 1257 रकबा 00-11-00, 1286 रकबा 00-06-00, 1287 रकबा 00-12-00 कुल रकबा 66-14-00 स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमियां वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 24 की शामिलती खातेदारी भूमियां है, उपरोक्त वर्णित भूमियो से वादीगण ने दिनांक 29.7.2015 को हुसैन पुत्र श्री मेन्दू, असराफ पुत्र मेन्दू, श्रीमति जैना पुत्री मेन्दू मेहरात निवासीयान ग्राम राघपुरा का पूरा का पूरा हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड खरीद किया तब से वादीगण अपने हिस्से की भूमियो में बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त करती आ रही है लेकिन उपरोक्त वर्णित भूमियों का राजस्व रेकार्ड की जमाबंदीयो में एंव नक्शे में तरमीम नही होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 24 के मध्य हमेशा भूमि के सीमा विवाद को लेकर विवाद उत्पन होता रहता है। प्रतिवादीगण वादीगण की सीमा में भी प्रवेश कर अतिक्रमण कर लेते है, जिससे प्रतिदिन विवाद की आशंका बनी रहती है, इस प्रकार उपरोक्त वर्णित भूमियों का आज दिवस तक विभाजन नही हो रखा है। तथा सीमा विवाद को लेकर सदैव लडाई झगडा होता रहता है। इसलिये राजस्व रेकार्ड में बंटवारा किया जाना न्यायोचित है। दिनांक 10.2.2018 को वादीगण अपने हिस्से में आयी खातेदारी भूमियो पर स्वयं द्वारा बोई गई फसल की निगरानी करने गई तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 24 एंव उनके पुत्र राय होकर वादीगण को वहां से भगाने का प्रयास किया एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 24 ने धमकीया दी और कहाकि भविष्य में आगामी समय में इन खेतो में यहां पर आकर देख लेना तक की धमकियां दे डाली इसलिये वाद की आवश्यकता हुई अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीगण को रजिस्टर्ड बेचाननामे के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 24 के बीच में उनके हिस्से के अनुसार विभाजन की डिक्री पारीत की जाकर बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जावे। तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नही।

प्रकरण में वादीगण ने उपस्थित होकर अपने वाद पत्र व राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादित भूमियों का विभाजन किया जावे।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया बाद अवलोकन वादीगण ने विवादित भूमियो का विधिक विभाजन कराने का अनुतोष चाहा है, जिसमें समर्थन में वादीगण द्वारा जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के अनुसार खाता संख्या 269 में वर्णित खसरान वादीगण के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 646 दिनांक 5.8.2015 के अनुसार हुसैन, असराफ पिसरान मेन्दू, जैना पुत्री मेन्दू के स्थान पर वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया एंव इसी जमाबंदी में प्रतिवादीगण के नाम भी खातेदारी में दर्ज होना पाया गया ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

(सुश्री चावला)
उपस्थित अधि. एवं महायक कलसरा
मम्दा (अजमेर) राज०

राजस्व वाद संख्या 15 सन् 2015

श्रीमति बिरदी व अन्य बनाम श्रीमति शांति व अन्य

// 3 //

अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 24 स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम राघपुरा पटवार क्षेत्र धौलादांता तहसील मसूदा के खाता संख्या 269 के खसरा नंबर 20 रकबा 02-12-00, 27 रकबा 00-00-10, 591 रकबा 01-10-00, 592 रकबा 08-15-10, 606 रकबा 00-10-00, 615 रकबा 00-02-00, 616 रकबा 01-06-00, 617 रकबा 00-07-00, 619 रकबा 00-16-10, 622 रकबा 00-01-10, 713 रकबा 00-04-00, 715 रकबा 01-12-00, 716 रकबा 01-05-00, 717 रकबा 00-09-00, 718 रकबा 00-09-00, 719 रकबा 00-09-00, 720 रकबा 01-05-00, 721 रकबा 01-07-00, 725 रकबा 00-05-10, 726 रकबा 00-09-10, 727 रकबा 00-07-00, 728 रकबा 00-07-00, 729 रकबा 01-05-00, 740 रकबा 01-03-00, 741 रकबा 01-03-00, 797 रकबा 00-14-00, 798 रकबा 01-00-00, 799 रकबा 01-12-10, 800 रकबा 00-08-00, 801 रकबा 00-07-00, 803 रकबा 00-02-00, 804 रकबा 01-12-00, 806 रकबा 02-00-00, 807 रकबा 00-14-10, 808 रकबा 00-10-00, 810 रकबा 00-07-00, 811 रकबा 00-14-10, 1180 रकबा 11-11-00, 1181 रकबा 01-00-00, 1182 रकबा 01-00-00, 1183 रकबा 01-06-00, 1206 रकबा 00-12-00, 1207 रकबा 00-12-00, 1208 रकबा 00-12-00, 1209 रकबा 01-17-00, 1216 रकबा 02-04-00, 1217 रकबा 01-07-10, 1218 रकबा 02-16-10, 1220 रकबा 02-02-10, 1240 रकबा 00-09-00, 1257 रकबा 00-11-00, 1286 रकबा 00-06-00, 1287 रकबा 00-12-00 कुल रकबा 66-14-00 में वर्तमान जमाबंदी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 24 व अन्य खातेदारान के नाम दर्ज चले आ रहे है, उनके हिस्से के अनुसार बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर उनके वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्सेनुसार पृथक पृथक खाते एवं कब्जा कायम किये जाने के आदेश पारीत किये जाते है तथा नक्शा ट्रेस में अलग अलग रंग से दर्शित करते हुये तथा किसी पक्षकार की मृत्यु होने की दशा में उसके विधिक वारीसान की जांच कर वारीसान के नाम अंकित करते हुये बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तावित किये जाने के आदेश तहसीलदार मसूदा को दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2/5/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेश चावला)
(सुरेश चावला)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी मसूदा
मसूदा (अजमेर) राज०

